

प्रश्न सं. [क. 422]

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


दिनांक: 25/02/2016

आदेश


क्रमांक- एफ-1-31/2013/22/प-2 समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2013 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.2016 से निम्नानुसार छठवां वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

अध्यापक संवर्ग	वेतन बैंड रुपये	ग्रेड-पै रुपये	महगाई भत्ता।
वरिष्ठ अध्यापक	रु. 9300-34800	रु.3600	दिनांक 01.1.2016 से शासकीय कर्मचारी को देय महगाई भत्ते के तुल्य एवं समय-समय पर की जाने वाली वृद्धि सहित
अध्यापक	रु. 9300-34800	रु.3200	
सहायक अध्यापक	रु. 5200-20200	रु.2400	

- छठवां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से देय है। वेतनमान का नगद भुगतान 01.04.2016 (मई, 2016 में देय) से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016 तक की बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा।
- छठवे वेतनमान अंतर्गत वेतन निर्धारण संबंधी विस्तृत निर्देश वित्त विभाग की सहमति से पृथक से जारी किये जायेंगे।
- यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 244/16/वि/व/ए दिनांक 25/2/16 के द्वारा प्रेषित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ब्रजेश कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 25/2/16 द्वारा प्रेषित



अनुभाग - अतिरिक्त
मध्य प्रदेश
राज्य शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//2//

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1-31/2013/22/पं-2 °

दिनांक 25.02.2016.

प्रतिलिपि-

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. निज सहायक/निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/ आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार मध्यप्रदेश, भोपाल/ ग्वालियर।
7. आयुक्त, पंचायतराज/लोक शिक्षण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण/आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला एवं जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
15. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय